न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 58/2018

1. देवीराम पुत्र गंगल्या
2. किशोर पुत्र गंगल्या जाति माली निवासी जटवाडा खुर्द, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

अपी0

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र काना
2. रामफूल पुत्र काना
3. गोपाल पुत्र काना
4. श्रीपाल पुत्र काना जाति माली निवासी जटवाडा खुर्द
5. सीताराम दत्तक पुत्र छोटया जाति माली निवासी जटवाडा खुर्द तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
6. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, सवाई माधोपुर।
7. श्रीमती राजेश जैन पत्नी श्री दिनेश जैन निवासी बाल मंदिर कॉलोनी, सवाई माधोपुर।

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 20/2001(नया नम्बर) पुराना नम्बर 03/2000 निर्णय दिनांक 06.04.2018 उनवानी प्रहलाद बगै0 बनाम सीताराम बगै0)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री उमाशंकर शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री पारस मल जैन

निर्णय **दिनांक 17.02.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 20/2001 (नया नम्बर) पुराना नम्बर 03/2000 निर्णय दिनांक 06.04.2018 उनवानी प्रहलाद बगै0 बनाम सीताराम बगै0 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज [illegible] धारा 188 [illegible] विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम जटवाडा खुर्द में स्थित है। खतौनी [illegible] 2009–20[illegible] नाथ्या पुत्र किशना एवं छोटया बल्द मंगल्या के नाम से दर्ज थी एवं हिस्सा [illegible] था नाथ्या एवं छोटया फौत हो चुके है। यह कि नाथ्या के कोई लडका नहीं था केवल एक मात्र पुत्री कोरी थी एवं काना उर्फ कानजी मृतक नाथ्या का जवाई था तथा काना उर्फ कानजी के लडके रामफूल व गोपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादीगण शुरू से इनकी मॉ कोरी के साथ नाथ्या के पास रहते थे एवं उनकी सेवा करते थे यही कारण था कि वादीगण नाथ्या के खास नवासे होने के कारण एवं नाथ्या की सेवा करने के कारण उसने अन्य आराजीयात के साथ विवादित आराजी खसरा नम्बर 945 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा का हिस्सा 1/2 तहरीर कर तकमील करवा कर रूबरू गवाहान नाथ्या ने अपनी निशानी कर दी एवं दिनांक 23.12.1975 को सब रजिस्ट्रार सवाई माधोपुर के यहां दानपत्र की रजिस्ट्री करवा दी तथा दानपत्र लिखने के दिन ही विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा दे दिया था तथा हमने दान स्वीकार कर कब्जा प्राप्त करना दानपत्र में लिख दिया था। तभी से हम लगातार तनहा विवादग्रस्त आराजी पर काबिज है एवं लगान सरकार अदा करते चले आ रहे है। यह कि छोटया पुत्र मंगल्या का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा खतौनी बन्दोबस्त 2009-23 दर्ज था छोटया की मृत्यु के बाद इसकी औरत मु0 छोटी ने बहैसियतकर्ता खानदान बहैसियत खानदान अपना 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता काना उर्फ कानजी को मुबलिग 1250/-रू. में दिनांक 14.02.1975 को जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दिया था एवं कब्जा दे दिया था तथा बजरंगलाल माली डीडराईटर से विक्रय पत्र तहरीर व तकमील करवा कर रूबरू गवाहन शिवनाथ सिंह एवं प्रताप सिंह मु0 छोटी ने अपनी निशानी कर दी थी एवं सब रजिस्ट्रार सवाई माधोपुर के यहा रजिस्ट्री करवा दी थी। इस प्रकार आराजी खं.नं. 945 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा भूमि के सम्पूर्ण रकबे पर हम वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है एवं लगान सरकार अदा करते चले आ रहे है। गंगल्या छोटया का भाई बताया जाता है परन्तु उसका इस आराजी से कोई तालुक वास्ता नहीं था एवं छोटया से अलग रहता था। गंगल्या की औरत मोत्या ने एक लिखावट दिनांक 12.02.1976 को आठ आने के स्टाम्प पर लिखकर दी थी कि उनका विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 945 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा से उनका व उनके पति गंगल्या का कभी तालुक व वास्ता नहीं रहा है एवं शुरू से ही छोटया के कब्जे एवं खातेदारी में रही है तथा उनका इस जमीन पर कभी कब्जा नहीं रहा है तथा उनके नाम जो खातेदारी में लगा दिया है। वह गलती से लगा दिया है उनकी खातेदारी में कभी भी नहीं रहा है, लिखावट मु0 मोत्या ने कर्ता खानदान रूबरू गवाहन शिवनाथ सिंह व भगवती प्रसाद लिखवाकर अपनी निशानी कर दी थी। यह कि सीताराम दत्तक पुत्र छोटया ने भी एक शपथ पत्र हमारे पक्ष में लिखकर नोटेरी से अटेस्टेड करवाकर दिनांक 23.02.2000 को हमारे पक्ष में तस्दीक करवाकर हमे सुपुर्द किया है। यह कि गंगल्या की रेवेन्यू अधिकारियों की गलती से नाम अंकित होने से प्रतिवादी नं. 02 व 03 देवीराम व किशोरी के बदयान्ती आ गयी है जबकि गंगल्या का इस विवादग्रस्त आराजी से कोई वास्ता नहीं रहा है न ही कभी कब्जा रहा है न ही इस वक्त कब्जा है। प्रतिवादी नं. 02 व 03 की मॉ ने लिखावट भी हम रेस्पो0/वादीगण को दी है परन्तु अब जमीन की कीमत बढने से प्रतिवादी नं. 02 व 03 के मन में बदयान्ती आ गयी है क्योंकि नाथ्या की औरत मोत्या मर चुकी है तथा गंगल्या की

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मृत्यु भी काफी अरसे पूर्व हो चुकी है यदि गंगल्या का कोई हक या कब्जा होता तो प्रतिवादी नं. 02 व 03 के नाम उसी वक्त नामान्तकरण खुल जाता परन्तु अभी तक गंगल्या के नाम से ही रेवेन्यू रिकार्ड में रेवेन्यू अधिकारियों की गलती व सहवन से दर्ज है जबकि गंगल्या का कोई अधिकार या कब्जा नहीं रहा है अभी प्रतिवादी नं. 02 व 03 ने बदयान्ती पूर्वक तहसील में अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने की कार्यवाही की थी उस पर तहसीलदार ने दस्तावेजात को देखते हुये एवं हमारा तनहा कब्जा हमारे पिता के समय से होने के कारण प्रतिवादी नं. 02 व 03 के नाम नामान्तकरण नहीं खोला है तथा नामान्तकरण नं. 54 दिनांक 26.02.2000 को खारिज कर दिया है तथा उक्त नामान्तकरण में तहसीलदार सवाई माधोपुर ने विस्तृत [illegible]वारी की थी तथा हमारा कब्जा अर्सा दराज से माना है, गंगल्या का विवादग्रस्त आराजी से कभी संबंध नही रहा तथा वह छोटया से अलग रहता था तथा प्रतिवादी नं. 02 व 03 के खाते में उनके पिता की खातेदारी की अन्य आराजीयात आयी है। विवादग्रस्त आराजी मंगल्या के खातेदारी में भी कभी नहीं रही है तथा छोटया का इस आराजी का 1/2 भाग उसके नाम था जो उसकी मृत्यु के पश्चात मु0 छोटी बेवा छोटया ने हमारे पिता कानजी उर्फ काना को अपना हिस्सा बेच दिया था जिसका हवाला उपर दिया जा चुका है। गंगल्या का रेवेन्यू अधिकारियों की गलती से नाम आ जाने के कारण ही प्रतिवादी नं. 02 व 03 के मन में बदयान्ती आ गयी है जबकि विवादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण गंगल्या का कोई तालुक वास्ता नही रहा है और न है। अलटरनेटिवनी आउष्टर की थ्योरी एवं हमारा ओपन एवं होस्टाईल एडवर्स पजेशन होने के कारण हम वादीगण विवादग्रस्त आराजीयात के खातेदार टीनेन्ट है तथा हमारा पुराना कब्जा होने तथा प्रतिवादी न. 02 व 03 का कोई कब्जा नहीं होने के कारण कोई अधिकार न तो है और न ही रहे है। गंगल्या की इस गलत खातेदारी का इल्म हम वादीगण को नहीं था क्योंकि इस विवादग्रस्त आराजी पर शांति पूर्वक काबिज चले आ रहे है। हम वादीगण ने इस विवादग्रस्त आराजी पर सब्जी बोई है जो मौके पर खडी हुई है यह कि दिनांक 27.02.2000 की बात है कि वादीगण अपने उक्त खेत पर थे कि प्रतिवादी नं. 02 व 03 उक्त खेत पर आये तथा मॉ बहन की गालिया देने लगे तथा कहा इस खेत से कब्जा हटाओ इस पर वादीगण ने कहा कि यह तो हमारी खातेदारी कब्जे के खेत है इतना कहते ही प्रतिवादी नं0 02 व 03 आमदा फिसाद हुवें तथा उन्होंने धमकी दी की वह बन्दुक की नौक पर कब्जा करेंगे इस पूर्व इन्होंने कोई झगडा फसाद नही किया था। यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना आवश्यक हुआ है। आराजी खं.नं. 945 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा वाके ग्राम जटवाडाखुर्द में से मृतक छोटया व गंगल्या पिसरान मं[illegible] की [illegible]बंदी में 1/2 भाग हिस्सा का इन्द्राज दर्ज है उनकी खातेदारी में से छोटया व गंगल[illegible] नाम हजफ किया जाकर तनहा वादीगण के नाम खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करवाई जावे। यह कि प्रतिवादीगण को जरिऐ स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 'वादपत्र वादीगण साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहे है क्योंकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत साबिक एवं हाल राजस्व जमाबंदी में 1/2 हिस्सा का इन्द्राज मृतक छोटया, गंगल्या पुत्र मंगल्या माली के नाम होने के कारण वाद पत्र वादी निरस्त किया जाता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा 30 वर्ष की समय सीमा में आज तक विवादित तक विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के बाबत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवाने बाबत किसी तरह की कार्यवाही नहीं की है साथ ही प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेख के अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार भी नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निर्देश दिये जाते है कि राजस्व अभिलेख में विरासत के अनुसार इन्द्राज करवावे एवं वादीगण प्रदर्श–6 विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में खातेदारान के विधिक वारीसान के नाम से नामान्तरकरण इन्द्राज करवाने के लिए स्वतंत्र रहेगे'। इस प्रकार निणर्य पारित करने से व्यथित हो कर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूहेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायायल ने तनकी संख्या 01, 02 व 05 के निर्णय में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रेस्पो0 सं. 01 ल0 04 विवादित आराजी खं.नं. 945 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा जिसका वर्तमान नम्बर 590 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम जटवाडाखुर्द रेस्पो0 सं. 01 ल0 04 के सम्पूर्व स्वामित्व व आधिपत्य की नहीं है तथा राजस्व अभिलेखों के अनुसार रेस्पो0 सं. 01 ल0 04 मात्र 1/2 हिस्से के खातेदार है, शेष 1/2 हिस्से के खातेदार छोटया व गंगल्या के पुत्र मंगल्या है। छोटया व गंगल्या द्वारा रेस्पो0 सं. 01 ल0 04 को अपना 1/2 हिस्सा ट्रांसफर किया हो ऐसा कोई विधिक साक्ष्य पेश नहीं की इसलिये तनकी सं. 01 व 02 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ने किया वह विधिक रूप से सही किया है। आराजी खं.नं. 945 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा वर्तमान नम्बर आराजी खं.नं. 590 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम जटवाडाखुर्द जिसमें 1/4 हिस्सा गंगल्या पुत्र मंगल्या का है। गंगल्या पुत्र मंगल्या के विधिक वारिसान होने के आधार पर अपीलांट ने अपने पिता के स्थान पर स्वंय का नाम बहैसियत खातेदार घोषित कर दर्ज कराने व स्थाई निषेधाज्ञा रेस्पो सं. 01 ल0 04 के विरूद्व प्राप्त करने की काउण्टर क्लेम पेश कर इस्तदुआ की और स्वंय की साक्ष्य व रेस्पो0 के बयानात से यह साबित किया कि गंगल्या पुत्र मंगल्या के वारिसान अपीलांट के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं अपीलांट की साक्ष्य से यह बखूबी साबित था कि आराजी खं.नं. 945 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा जिसका वर्तमान नम्बर 590 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम जटवाडाखुर्द में अपीलांट के पिता गंगल्या पुत्र मंगल्या का

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1/4 भाग है। मंगल्या पुत्र मंगल्या के अपीलांट के अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान नहीं है। अपीलांट अपने पिता के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु तहसील में कार्यवाही करते रहे है। पत्रावली में आई साक्ष्य से साबित होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय ने 30 वर्षो तक के लम्बे समय से नामान्तकरण सम्बन्धी कार्यवाही नहीं करने को आधार मानकर जो तजबीज सं. 03 व 04 के सम्बन्ध में की है। वह खिलाफे कानून व रूयेदाद मिसल होने से काबिले मंसूख है। छोटया पुत्र मंगल्या माली आराजी ख.नं 945 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा के 1/4 भाग का खातेदार था तथा उसके वारिसान रेस्पो0 सं. 05 व शकरी पुत्री छोटया पत्नी रामकल्याण माली श्री शकरी व रेस्पो0 सं. 05 सीताराम के अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान छोटया पुत्र मंगल्या के नहीं हैं, न ही अन्य किसी ने अपने आपको छोटया के वारिसान क्लेम किया ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि छोटया पुत्र मंगल्या के स्थान पर उसके वारिसान सीताराम दत्तक पुत्र छोटया व शकरी पुत्री छोटया के नाम विरासत के आधार पर रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश देती लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने छोटया के वारिसान सम्बन्धी साक्ष्य पत्रावली में होते हुऐ भी छोटया के 1/4 हिस्सों के स्थान पर छोटया के वारिसान के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज करने का आदेश नहीं देकर भूल की है। रेस्पो0 ने अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया कि छोटी बेवा छोटया का आराजी खं.नं. 945 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा में 1/2 हिस्सा कभी नहीं रहा और न ही छोटी बेवा छोटया का कब्जा काश्त 1/2 भाग पर रहा। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय ने ई एक्स 6 के आधार पर रेस्पो0 सं. 01 ल0 04 को सम्पूर्ण खं.नं. 945 का खातेदार नहीं माना। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने दादरसी में ई एक्स 6 के सम्बन्ध में रेस्पो0 सं. 01 ल0 04 को खुला छोडने का जो निर्णय किया है। वह खिलाफे कानून होने के कारण काबिले मंसूख है। अपीलांट अपने 1/4 भाग पर विरासत के आधार पर काबिज चले आ रहे है। रेस्पो0 सं. 01 ल0 04 तहसीलदार से साज कर येन केन प्रकारेण अपीलांट के पिता के स्थान पर अपने नाम दर्ज करा कर बिक्री करने पर उतारू है। इसलिये उन्हें ताफैसला अपील पाबंद करना आवश्यक है। उक्त अपीलाधीन पारित निर्णय, खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी खसरा नम्बर 945 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम जटवाडा खुर्द में स्थित है खतौनी बन्दोवस्त 2009–2023 में नाथ्या पुत्र [illegible] के नाम से दर्ज थी एवं हिस्सा बराबर दर्ज था नाथ्या एवं छोटया फौत हो [illegible] है। [illegible] के कोई लडका नहीं था केवल एक मात्र पुत्री कोरी थी एवं [illegible] कानजी मृत[illegible] का जवाई था तथा काना उर्फ कानजी के लडके रामफूल व [illegible] से उनकी मां कोरी के साथ नाथ्या के पास रहते थे एवं उनकी सेवा करते थे यही कारण था कि वादीगण नाथ्या के खास नवासे

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर
Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ने के कारण एवं नाथ्या की सेवा करने के कारण उसने अन्य आराजीयांत के साथ विवादित आराजी खसरा नम्बर 945 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा का हिस्सा 1/2 तहरीर कर तकमील करवा कर रूबरू गवाहान नाथ्या ने अपनी निशानी कर दी एवं दिनांक 23.12.1975 को सब रजिस्ट्रार सवाई माधोपुर के यहां दानपत्र की रजिस्ट्री करवा दी तथा दानपत्र लिखने के दिन ही विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा दे दिया था तथा हमने दान स्वीकार कर कब्जा प्राप्त करना दानपत्र में लिख दिया था। तभी से हम लगातार तनहा विवादग्रस्त आराजी पर काबिज है एवं लगान सरकार अदा करते चले आ रहे है। छोटया पुत्र मंगल्या का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा खतौनी बन्दोबस्त 2009–23 दर्ज था छोटया की मृत्यु के बाद इसकी औरत मु0 छोटी ने बहैसियतकर्ता खानदान बहैसियत खानदान अपना 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता काना पुत्र कानजी को मुबलिग 1250/–रू. में दिनांक 14.02.1975 को जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दिया था एवं कब्जा दे दिया था तथा बजरंगलाल माली डीडराईटर से विक्रय पत्र तहरीर व तकमील करवा कर रूबरू गवाहन शिवनाथ सिंह एवं प्रताप सिंह मु0 छोटी ने अपनी निशानी कर दी थी एवं सब रजिस्ट्रार सवाई माधोपुर के यहा रजिस्ट्री करवा दी थी जिसे अभी तक चैलेंज नही किया गया है। इस प्रकार आराजी ख.नं. 945 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा भूमि के सम्पूर्ण रकबे पर हम वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है एवं लगान सरकार अदा करते चले आ रहे है। यह कि गंगल्या छोटया का भाई बताया जाता है परन्तु उसका इस आराजी से कोई तालुक वास्ता नहीं था एवं छोटया से अलग रहता था। गंगल्या की औरत मोत्या ने एक लिखावट दिनांक 12.02.1976 को आठ आने के स्टाम्प पर लिखकर दी थी कि उनका विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 945 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा से उनका व उनके पति गंगल्या का कभी तालुक व वास्ता नहीं रहा है एवं शुरू से ही छोटया के कब्जे एवं खातेदारी में रही है तथा उनका इस जमीन पर कभी कब्जा नहीं रहा है तथा उनके नाम जो खातेदारी में लगा दिया है वह गलती से लगा दिया है उनकी खातेदारी में कभी भी नहीं रहा है, लिखावट मु0 मोत्या ने कर्ता खानदान रूबरू गवाहन शिवनाथ सिंह व भगवती प्रसाद लिखवाकर अपनी निशानी कर दी थी। यह कि सीताराम दत्तक पुत्र छोटया ने भी एक शपथ पत्र हमारे पक्ष में लिखकर नोटेरी से अटेस्टेड करवाकर दिनांक 23.02.2000 को हमारे पक्ष में तस्दीक करवाकर हमे सुपुर्द किया है जो रजिस्ट्री का समर्थन कर रहा है। गंगल्या की रेवेन्यू अधिकारियों की गलती से नाम अंकित होने से अपीलांट देवीराम व किशोरी के बदयान्ती आ गयी है, जबकि गंगल्या का इस विवादग्रस्त आराजी से कोई तालुक वास्ता नहीं रहा है न ही कभी कब्जा रहा है न ही इस वक्त कब्जा है। अपीलांट ... लिखावट भी हम रेस्पो0 को दी है परन्तु अब जमीन की कीमत बढ़ जाने से अपीलांट के ... आ गयी है क्योंकि गंगल्या की औरत मोत्या मर चुकी है तथा गंगल्या की मृत्यु भी काफी अरसे पूर्व हो चुकी है यदि गंगल्या का कोई हक या कब्जा होता तो अपीलांट के नाम उसी वक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नामान्तकरण खुल जाता परन्तु अभी तक मंगल्या के नाम से ही रेवेन्यू रिकार्ड में रेवेन्यू अधिकारियों की गलती व सहवन से दर्ज है जबकि मंगल्या का कोई अधिकार या कब्जा नहीं रहा है अभी अपीलांट ने बदयान्ती पूर्वक तहसील में अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने की कार्यवाही की थी उस पर तहसीलदार ने दस्तावेजात को देखते हुये एवं हमारा तनहा कब्जा हमारे पिता के समय से होने के कारण अपीलांट के नाम नामान्तकरण नहीं खोला है तथा नामान्तकरण नं. 54 दिनांक 26.02.2000 को खारिज कर दिया है तथा उक्त नामान्तकरण में तहसीलदार सवाई माधोपुर ने विस्तृत इनक्वारी की थी तथा हमारा कब्जा अर्सा दराज से माना है. मंगल्या का विवादग्रस्त आराजी से कभी संबंध नही रहा तथा वह छोटया से अलग रहता था तथा अपीलांट के खाते में उनके पिता की खातेदारी की अन्य आराजीयात आयी है। विवादग्रस्त आराजी मंगल्या के खातेदारी में भी कभी नहीं रही है तथा छोटया का इस आराजी का 1/2 भाग उसके नाम था जो उसकी मृत्यु के पश्चात मु0 छोटी बेवा छोटया ने हमारे पिता कानजी उर्फ काना को अपना हिस्सा बेच दिया था जिसका हवाला उपर दिया जा चुका है। यह कि गंगल्या का रेवेन्यू अधिकारियों की गलती से नाम आ जाने के कारण ही अपीलांट के मन में बदयान्ती आ गयी है जबकि विवादग्रस्त आराजी से अपीलांट का कोई तालुक वास्ता नही रहा है और न है। यह कि अलटरनेटिवनी आउष्टर की थ्योरी एवं हमारा ओपन एवं होस्टाईल एडवर्स पजेशन होने के कारण हम वादीगण विवादग्रस्त आराजीयात के खातेदार टीनेन्ट है तथा हमारा पुराना कब्जा होने तथा अपीलांट का कोई कब्जा नहीं होने के कारण कोई अधिकार न तो है और न ही रहे है। गंगल्या की इस गलत खातेदारी का इल्म हम वादीगण को नहीं था क्योंकि इस विवादग्रस्त आराजी पर शांति पूर्वक काबिज चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय विधि सम्मत किया है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस व तर्को पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया।

6. राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2044–47 की खतौनी सं. 119 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द के अनुसार विवादित ख.नं. 945 रकबा 02 बीघा 10 विस्वा चाही 02 रामफूल, गोपाल पिसरान काना माली हिस्सा 1/2 छोट्या, गंगल्या पिसरान मंगल्या माली हिस्सा 1/2 सा. देह के नाम अंकित है। पर्चा खतौनी बंदोबस्त 2009–24 प्रदर्श–4 के अनुसार खसरा नम्बर 945 नाथ्या बल्द किशन, छोट्या बल्द मंगल्या कौम माली के नाम दर्ज है। दौराने बहस प्रस्तुत खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2009–25 मौजा जटवाडा [illegible] खसरा नम्बर 945 नाथ्या बल्द किशन, छोट्या बल्द मंगल्या कौम माली सा0 देह हिस्सा बराबर अंकित है। प्रदर्श ए–8 जमाबंदी 2014–17 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द के खतौनी संख्या 189 पर खसरा नम्बर 945 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा नाथ्या बल्द किशन व छोट्या, गंगल्या पिसरान मंगल्या कौम माली

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सा0 देह व हिस्सा बराबर अंकित है। खतौनी बंदोबस्त के भिन्न गंगल्या के नाम किस प्रकार अंकन हुआ इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, न ही विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विवेचित किया है। दिनांक 14.02.1975 के पंजीकृत बयनामा के अनुसार छोटी पत्नी छोट्या ने 1/2 हिस्सा कानजी वल्द मांग्या को बेचान कर दिया। जिस दिन बेचान हुआ उस समय राजस्व रिकार्ड में छोटी का अंकन नहीं था एवं हिस्सा भी 1/2 छोट्या के नाम नहीं होकर छोट्या व गंगल्या दोनो के नाम अंकित था। अपील मीमो व बहस में भी कथन किया है कि छोट्या की पत्नी के अलावा एक पुत्री शंकरी व दत्तक पुत्र और वारिसान है जिनमें दत्तक पुत्र सीताराम द्वारा शपथ पत्र प्रदर्श–7 भी पेश किया है इनके अधिकारो का निर्धारण किया जाना भी अपेक्षित है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2018 में विधिक त्रुटी दृष्टव्य होती है। अतः प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मु0नं0 20/2001 (नया नम्बर) पुराना नम्बर 03/2000 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारणीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवेचना में उल्लेखित तथ्यो/बिन्दुओ को स्पष्ट करते हुए, उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर विधिक रूप से सुस्पष्ट निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के यहॉ दिनांक 25.03.2021 को उपस्थित होवे।

8. निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.2.21

(बी.एल.रेमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner